फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती सुशीलाकुंवर | **विपक्षी : श्री उदेसिंह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 20/23**

जीसीएमएस : 2023/49

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पक्षी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 05.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 7, 10 से 12 बावजूद सूचना अब तक अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। विपक्षी सं. 8, 9 के नोटिस बाद तामील प्राप्त। आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित है। अतः अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीया द्वारा बंटवाडे व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीया एवं विपक्षीगण खातेदार हैं। प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रही हैं। मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द कर देते है तो इससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी एवं अनावश्यक पैचिदगीया बढेगी, परन्तु यदि मात्र विपक्षीगण को ही पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्राथीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया उभय पक्षकारान के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा चुण्डावतखेडी पटवार हल्का बडगांव तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 14 पर दर्ज आराजी नम्बर 24, 26, 27, 28 किता 4 रकबा 1.7645 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.11 17:42:31 IST
Reason: SelfAttested